रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257720
CG-DL-E-05102024-257720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3978] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946
No. 3978] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4337(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य, बिहार के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3517 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3517 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3517 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(क)	जिला कलेक्टर, वैशाली जिला	अध्यक्ष, पदेन;
(ख)	बिहार राज्य सरकार, राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ग)	बिहार राज्य सरकार, जल संसाधन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(घ)	बिहार राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ङ)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना के एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(च)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का तीन वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(छ)	बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक या पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ज)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(झ)	प्रभागीय वन अधिकारी, वैशाली जिला	सदस्य सचिव, पदेन।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सिंतबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों, जो उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थालीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मानीटरी समिति मामला-दर-मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-III** में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/31/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4031 (अ) तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4 October, 2024

S.O. 4337(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Wildlife Sanctuary, Bihar in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3517(E), dated the 23rd November, 2016;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. S.O.3517(E), dated the 23rd November, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3517(E), dated the 23rd November, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(a) District Collector, Vaishali District Chairman, ex officio;

(b)	One representative of the Revenue Department, State Government of Bihar	Member, ex officio;
(c)	One representative of the Water Resource Department, State Government of Bihar	Member, ex officio;
(d)	One representative of the Public Works Department, State Government of Bihar	Member, ex officio;
(e)	One representative of Bihar State Pollution Control Board, Patna	Member, ex officio;
(f)	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Bihar for a period of three years.	Member
(g)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar for a period of three years.	Member
(h)	One representative of Bihar State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(i)	Divisional Forest Officer, Vaishali District	Member-Secretary.

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden in the State by the 30th June of that year in proforma specified in **Annexure-III.**

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/31/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3517 (E), dated the 23rd November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA